

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1308
28.06.2019 को उत्तर के लिए

वायु गुणवत्ता का विनियमन

1308. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

श्री सुनील कुमार मंडल:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने वायु गुणवत्ता का विनियमन करने और नई दिल्ली, मुंबई और बंगलूरू सहित शहरों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार का सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देने अथवा इसके उपयोग को अनिवार्य बनाने का विचार है ताकि कुछ अत्यधिक प्रदूषण वाले शहरों में वायु प्रदूषण कम किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा कमी के लिए केंद्र सरकार ने अनेक नियामक उपाय किए हैं। इसमें ये शामिल हैं-

दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्ययोजनाएं:

- (i) दिल्ली तथा एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा कमी के लिए 12 जनवरी, 2017 को ग्रेडेड रिस्पोंस एक्शन प्लान (जीआरएपी) को अधिसूचित किया गया था। इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स की चार श्रेणियों नामतः कम खराब से खराब, काफी खराब, गंभीर तथा अत्यंत गंभीर या इमरजेंसी श्रेणियों के लिए किए जाने वाले उपायों और कार्यान्वयन एजेंसियों को श्रेणीबद्ध कर चिन्हित किया गया है।
- (ii) केन्द्रीय सरकार ने 2018 में दिल्ली तथा एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा कमी के लिए चिन्हित किए गए कार्यों हेतु समय सीमा निर्धारण तथा कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान के लिए एक व्यापक कार्य योजना (सीएपी) अधिसूचित की है।

अन्य शहरों में वायु गुणवत्ता की सुधार के लिए कार्ययोजनाएं

- i. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायु प्रदूषण की समस्या का व्यापक तरीके से निपटान करने के लिए जनवरी, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) जारी किया है, जिसमें 2024 तक PM₁₀ और PM_{2.5} के संकेन्द्रण को 20 से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें संकेन्द्रण की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष बनाया गया है। इसका समग्र उद्देश्य पूरे देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण तथा कमी के लिए व्यापक प्रबंधन योजना सुनिश्चित करने और जनजागरूकता और दक्षता निर्माण उपायों को बढ़ाने के अतिरिक्त परिवेशी वायु गुणवत्ता नियंत्रण नेटवर्क को तैयार करना और उसका संवर्धन करना है
- ii. 2011 से 2015 की अवधि तथा 2014/2018 की डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार परिवेशी वायु गुणवत्ता के आधार पर लक्ष्य प्राप्त न करने वाले 102 शहरों को चिन्हित

किया गया है। कुल 86 शहरों में धरातलीय स्तर पर विशेष कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

निगरानी

- परिवेशी वायु गुणवत्त के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत देशभर में 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में 339 शहरों को कवर करते हुए 779 अवस्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है।
- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की अधिसूचना
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से अक्टूबर, 2018 में दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता शीघ्र चेतावनी प्रणाली का कार्यान्वयन।

परिवहन

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1 अप्रैल, 2018 से और देश के अन्य भागों में 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानक अपनाना।
- स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधन जैसे गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी आदि), इथेनॉल मिश्रण की शुरूआत करना।
- सड़कों पर वाहनों की अधिकता के कारण भीड़-भाड़ को कम करने हेतु सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और सड़कों में सुधार तथा और ज्यादा पुलों का निर्माण।
- दिल्ली से अ-लक्षित वाहनों के मार्ग को डाइवर्ट करने हेतु पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे और पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे का प्रचालन।
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी करने को व्यवस्थित बनाना।
- दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी तथा इससे ऊपर के क्षमता वाले डीजल वाहनों के इंजनों पर पर्यावरण संरक्षण शुल्क (इपीसी) लगाया गया है।

उद्योग

- 15 अक्टूबर, 2018 से बदरपुर ताप विद्युत परियोजना को बंद कर दिया गया है।
- विद्युत संयंत्रों के लिए कड़े उत्सर्जन मानकों की अधिसूचना जारी करना।
- दिल्ली और एनसीआर में सभी ईट-भट्टों को मिश्रित प्रौद्योगिकी अपनाने का निदेश दिया गया है।
- दिल्ली और एनसीआर में रेड श्रेणी के सभी उद्योगों में ऑन-लाइन सतत (24x7) निगरानी उपकरणों की संस्थापना।
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समय-समय पर उत्सर्जन मानको पर संशोधन।
- दिल्ली तथा एनसीआर के राज्यों में पेट कोक तथा फर्नेस ऑयल पर प्रतिबंध - चूना भट्टों/सीमेंट भट्टों तथा कैल्शियम कार्बाइड उद्योग में पेट कोक के उपयोग की निगरानी।

बायोमास और ठोस अपशिष्ट

- वर्ष 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशिष्ट के खेत में ही प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा' संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरू की गई है।

- बायोमास के जलाने पर प्रतिबंध लगाना।
- दिल्ली में इस समय 5100 टन प्रतिदिन (टीपीडी) की कुल क्षमता वाले 3 अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले (डब्ल्यू-टी-ई) संयंत्र प्रचालित हैं।
- वर्ष 2016 में ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट तथा खतरनाक अपशिष्टों को शामिल करते हुए 6 अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किए गए हैं।

धूल-कण

- निर्माण और विध्वंस कार्यकलापों के लिए धूल उपशमन उपायों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
- दिल्ली में मशीनीकृत सड़क सफाई मशीनों की संख्या में काफी वृद्धि की गई है और वर्तमान में सड़कों की सफाई के लिए 60 मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

जन-संपर्क अभियान

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार ने 10-23 फरवरी, 2018 के दौरान दिल्ली के लिए स्वच्छ वायु अभियान की शुरुआत की थी और दिवाली से पहले और उसके बाद 1 नवंबर, 2018 से 10 नवंबर, 2018 के दौरान वायु प्रदूषण फैलाने वाले कार्यकलापों को नियंत्रित करने हेतु "स्वच्छ वायु अभियान" नामक एक विशेष अभियान आरंभ किया था।
 - मंत्रालय द्वारा हरित अच्छे कार्यों, जिनमें साईकिल की सवारी करने को बढ़ावा देने, जल और बिजली बचाने, पेड़ लगाने, वाहनों का उचित अनुरक्षण करने, सड़कों पर लेन अनुशासन का पालन करने तथा कार पूलिंग द्वारा सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके माध्यम से पर्यावरणीय संरक्षण हेतु लोगों की भागीदारी और नागरिकों में जागरूकता सृजन अभियानों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
 - दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्याओं से संबंधित जन-शिकायतों के समाधान हेतु 'समीर ऐप', ई-मेल (aircomplaints.cpcb@gov.in) और 'सोशल मीडिया नेटवर्कों' (फेसबुक और ट्विटर) के माध्यम से एक तंत्र विकसित किया गया है।
- (ग) दिल्ली एनसीआर में जन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बस संख्या और सेवाओं में सुधार करने के लिए उपाय किए हैं। अधिक यात्रियों की सवारी के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवा को बढ़ाने के भी उपाय किए गए हैं। निरंतर संबद्धता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) और स्थानीय परिवहन प्रणाली के साथ इसका एकीकरण और दिल्ली और एनसीआर आदि में जन परिवहन को बढ़ावा देना, दिल्ली एनसीआर की व्यापक कार्य योजना के भाग हैं। केन्द्रीय सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए 'फास्टर एडोपशन एंड मेनूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया फेस II (फेम इंडिया फेस II)' शीर्षक के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इस स्कीम का 1 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों की अवधि में कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रु. है। इससे जन परिवहन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
